न्यायालयः– सत्रहवे जिला न्यायाधीश, जिला ग्वालियर (म.प्र.)

MCA No- 175/2022
CNR No- MP0701-025345-2022

शोभाराम गुर्जर

....अपीलार्थी

विरुद्ध

तल्फा बाई गुर्जर एवं दो अन्य

....प्रत्यर्थी

(प्रतिलिपि आदेश दिनांक 12.09.2023)

12.09.23 अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता श्री पी.डी.अग्रवाल उपस्थित।

प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 अनिर्वाहित।

प्रत्यर्थी क्र. 3 की ओर से श्री कुलदीप दुबे शासकीय अधिवक्ता उपस्थित।

प्रकरण उचित आदेशार्थ प्रस्तुत।

प्रकरण प्रत्यर्थी क्र. 1 व 2 की उपस्थिति एवं प्रत्यर्थी क्र. 3 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुति हेतु नियत किया जाता है।

प्रकरण के इसी स्तर पर अपीलार्थी अधिवक्ता श्री पी.डी.अग्रवाल द्वारा मौखिक निवेदन किया गया कि न्यायालय दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा व्यवहार वाद क्र. 393/22 में आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. पर पारित दिनांक 06.09.22 के अनुसार आदेश का प्रभाव आदेश दिनांक से आगामी 06

माह तक या प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जो भी पहले हो, तक रहने का आदेश था। आज दिनांक 12.09.23 आदेश के अनुसार 06 माह का समय व्यतीत हो चुका है, स्थगन आदेश का विस्तार नहीं किया गया है, जिस कारण वर्तमान प्रकरण का औचित्य ही समाप्त हो गया है अतः वे विविध व्यवहार अपील पर बल नहीं देना चाहते।

न्यायालय दशम् व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड ग्वालियर द्वारा व्यवहार वाद क्र. 393/22 में आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. पर पारित दिनांक 06.09.22 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेश का प्रभाव आदेश दिनांक से आगामी 06 माह तक या प्रकरण के अंतिम निराकरण तक जो भी पहले हो, तक रहने का आदेश था, समय सीमा का विस्तार किया गया हो ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता श्री अग्रवाल द्वारा प्रगट आधार को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान विविध व्यवहार अपील बल न देने के आधार पर निरस्त की जाती है।

उभयपक्ष अपना–अपना व्यय वहन करेंगे।

व्यय तालिका निर्मित की जाये।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर वर्तमान विविध व्यवहार अपील पत्रावली अभिलेखागार भेजा जावे।

(संजय कुमार सिंह)
सत्रहवे जिला न्यायाधीश,
ग्वालियर (म0प्र0)

SANJAY SINGH

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2023.09.12 16:33:08 +0530